

प्रा०पत्र/21/2024

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

बनाम

.....प्रार्थी

श्री जीतेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्री सोहनलाल, निवासी खेरापति मौहल्ला होल्केश्वर  
महादेव के सामने, जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम  
1955, सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण  
का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-

1-पैरोकार सरकार रसद

निर्णय

दिनांक 16.04.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन लक्ष्मण मन्दिर के पीछे स्थित शर्मा मिष्ठान भण्डार पर पहुँचे। मौके पर मिष्ठान भण्डार पर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों से मिटाई बनाने का कार्य व्यावसायिक भट्टी एवं रेग्युलेटर नली व चूल्हे के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त 08 अन्य घरेलू सिलेण्डर भी परिसर में अवैध रूप से मौजूद पाये गये। परिसर में 06 सिलेण्डर 19 किग्रा भराव क्षमता के मौजूद पाये गये। जिनके कनेक्शन अथवा रिफिल सम्बन्धी कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० को नोटिस धारा 6बी ई०सी० एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी० द्वारा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये करने के लिये पाया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

प्रा0पत्र/21/2024  
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम जीतेन्द्र शर्मा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोक़े पर जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेण्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर